प्रकरण संख्या 79/2016 श्रीमती कल्लू बनाम थावरचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2022	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 42–बी, 183, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दामासाथ में कृषि आराजी नंबर 34, 35/2, 36, 99, 120, 134, 171, 225, 227, 228, 229 कुल किता 11 रकबा 5.47 एकड़ भूमि स्थित है, जो वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी की होकर वादी तथा प्रतिवादी संख्या 9 से 11 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 का होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त खाते की भूमि के मूल सर्वे नंबर 35 रकबा 1.86 एकड़ भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 11 के मध्य उनके ही एक मात्र शामलाती खाते दर्ज थी एवं उनके आवेदन पर उक्त सर्वे नंबर की 0.20 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज हुई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 189 दिनांक 10.11.2001 होकर बटा नंबर 35/1 पड़ा। उक्त आवासीय भूमि पर प्रतिवादी ईश्वर को छोड़कर सभी के मकान बने हुए है। पूर्व में नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का किसी प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं था, किन्तु बाद में नामान्तरकरण संख्या 192 दिनांक 10.11.2002 से वे बतौर सहखातेदार दर्ज हो गये। उक्त आबादी भूमि को छोड़कर शेष भूमि के विभाजन का वाद संख्या 29/2003 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य होकर प्रारम्भिक डिक्री की पालना में दिनांक 24.06.2004 को मौका पर्चा तैयार किया गया, जिसमें सर्वे नंबर 35/2 का विभाजन मौके पर करते समय सर्वे नंबर 35/1 रकबा 0.83 एकड़ रोड़ साईड की भूमि प्रतिवादी थावरचन्द व मानसिंग के नाम रखी गयी व शेष रकबा 0.83 का बटा नंबर 35/2 वादी व प्रतिवादी संख्या 9 से 11 के हिस्से में सर्वे नंबर 35/1 के पीछे देना दर्शाया गया। उक्त कार्यवाही मौके पर नियमानुसार नहीं की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रोड़ साईड की भूमि बिना वादी को सुने दी गयी है। अतः वाद संख्या 29/2003 में मौका कमिश्नर द्वारा की गयी समस्त विभाजन की कार्यवाही को शून्य घोषित किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन बंटवारा नियमों के अनुसार किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.10.2016 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 व 15 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.06.2016 को उक्त निर्णय के बाद प्रकरण माह जून, जुलाई, अगस्त में लगातार कैम्प में चलता रहा। इस कारण [illegible] कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दिनांक 20.09.2016 को नकल पर अपील प्रस्तुत की गयी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि पूर्व वाद संख्या 29/003 में मौके पर कमिश्नर द्वारा किसी प्रकार की नाप तौल नहीं की गयी है, न ही भौतिक सत्यापन किया गया है। अन्य खेतों का भी मौके पर विभाजन नियमानुसार नहीं किया गया है। उक्त वाद में विभाजन की समस्त कार्यवाही नियमों के विपरीत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों की सहमति के प्रकरण कैम्प कोर्ट में रखकर वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन वाद खारिज किया है, जबकि कैम्पों का उद्देश्य दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण करने बाबत् होता है, किन्तु बिना किसी सहमति के अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा मूलवाद में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 01.03.2016 अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण में प्रतिवादीगण की पुनः तलबी की जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.05.2016 नियत की गयी। किन्तु उक्त दिनांक को पत्रावली पेश ही नहीं हुई एवं सीधे ही बिना किसी आदेशिका के दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर वादी को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर